**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1007**
**दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**भारतीयों के प्रति घृणा अपराध**

**1007. कुमारी राम्या हरिदासः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में विदेशों में भारतीयों के प्रति घृणा अपराधों और भारत विरोधी गतिविधियों में कोई वृद्धि देखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा ऐसे घृणा अपराधों से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**
**(श्री वी. मुरलीधरन)**

(क) से (ग) सरकार विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा, हिफाजत और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और किसी भी अप्रिय घटना पर बारीकी से नजर रखते हैं। ऐसी घटनाओं को तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की उचित जांच हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। इन मुद्दों को संबंधित देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान भी उठाया जाता है जिसमें उचित उच्चतम स्तर भी शामिल हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र यथा अपेक्षित, भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए वॉक–इन, दूरभाष, ईमेल, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच, विदेश में स्थित मिशनों द्वारा स्थापित 24x7 हेल्पलाइन और टोल फ्री हेल्पलाइन, मदद पोर्टल, ओपन हाउस आदि के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकता है। सरकार विदेशों में भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहती है और उनके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए सभी उपाय करती है।

*****